न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –221/2022
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/279

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. शैतानराम पुत्र सुखाराम 2. पाबुराम पुत्र सुखाराम 3. सुखाराम पुत्र भागुराम जातियान जाट, निवासीगण ढावा तहसील मेड़ता जिला नागौर		तहसीलदार, मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थितिः–
1. अपीलान्टस् की ओर से वकील श्री भंवरलाल खुड़खुडिया।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओम प्रकाश पूनिया।

दिनांक 31-08-2022

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा 10/2022 बअनवान सरकार बनाम पाबुराम वगैरह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का ढावा ने अपीलांट्स के विरूद्व एक रिपोर्ट तहसील कार्यालय मेड़ता में इस आशय की पेश की कि मौजा सिरसला के खसरा नं. 44 रकबा 0.0850 हैक्टेयर किस्म गे.मु. रास्ता पर गेर सायलान ने संवत 2079 में बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर अपीलांट्स के विरूद्व उक्त प्रकरण तहसीलदार मेडता के न्यायालय में दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया।

अपीलांट्स ने दिनांक 20.7.2022 को नोटिस का जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं. 44 रकबा 0.0850 हैक्टेयर गे. मु. रास्ता पर पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण का गलत रूप से अतिक्रमण बताकर उक्त नोटिस दिलवाया है। मौके पर रास्ता चालू है जिस पर प्रार्थीगण का कोई अतिक्रमण नहीं है, राजस्व कर्मचारियो ने उक्त रास्ता को गलत जगह दर्शित कर प्रार्थीगण का उस पर अतिक्रमण बताया है जबकि प्रार्थीगण अपनी जमीन पर ही काबिज है, प्रार्थीगण ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थीगण के पास खातेदारी से अधिक एक इंच जमीन नहीं है और नक्शे में जो रास्ता गलत तरमीम किया गया है उसके संशोधन हेतु प्रार्थीगण ने अलग से कार्यवाही की है इसलिए प्रार्थीगण के विरूद्व नोटिस की कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया। तत्पश्चात विद्वान तहसीलदार ने कथित नक्शा की गलत तरमीम आदि की कोई जांच किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट जो अपीलांट से अदावत रखने वाले समूह विशेष के लोगो ने दबाव बनाकर पेश करवाई थी, उसके आधार पर अपीलांट्स को गलत रूप से अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्मानो का निर्णय तीसरी पेशी दिनांक 25.7.2022 को आनन फानन में बिना आवश्यकता के अत्यंत जल्दबाजी करते हुऐ पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अदालत मातहत का निर्णय जैर अपील तथ्यों के विपरीत, गैर कानूनी तरीके से मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की जो पूर्व में गलत रिपोर्ट पेश हुई उसके आधार पर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया व अपीलांटान ने वास्तविक स्थिति का जवाब तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया तो फिर यदि पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई आवश्यक थी तो स्वयं के स्तर पर जांच करते या अन्य किसी पटवारी या टीम से नाप चोप करवा कर रिपोर्ट मंगवाते, उसी पटवारी से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई है जबकि एक ही पटवारी अपनी पूर्व की रिपोर्ट के विपरीत दुसरी रिपोर्ट कतई पेश नहीं कर सकता है चाहे पूर्व की रिपोर्ट गलत है तो उसी अनुसार दुसरी रिपोर्ट पेश करेगा और ऐसा ही इस प्रकरण में हुआ है क्योकि अपीलांटान ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है रास्ता चालू हालत में है किसी भी

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

काश्तकार खातेदारो को कोई रास्ता की समस्या नहीं है न कोई शिकायत कभी रही है मगर केवल मात्र अपीलांट से अदावत रखने वाले कुछ व्यक्ति विशेष के लोगो ने पटवारी हल्का को दबाव व प्रभाव में लेकर केवल मात्र अपीलांटान को नाजायज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या रिपोर्ट पेश करवाई है व उसी पटवारी हल्का से दुसरी तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर उस पर विश्वास करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है व बिना अतिक्रमण हुऐ अपीलांट को दण्डित किया है अपीलांट्स काश्तकारो के साथ अन्याय किया है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण हाजा में अतिक्रमण का कोई मामला किसी भी सुरत में नहीं बनता है केवल मात्र गलत तरमीम हो रखी थी जिसको दुरुस्त किया जाना है व उसकी कार्यवाही नहीं करके व टीम से निष्पक्ष जांच, नाप चोप व तरमीम की वास्तविकता की रिपोर्ट लिये बिना ही अपीलांटान को अतिक्रमी घोषित करना कतई विधि सम्मत नहीं है क्योकि जब जवाब के जरिये तहसीलदार के समक्ष तरमीम गलत की मूल समस्या के तथ्य प्रकट हो चुके थे तो उस समय में जांच करवाई जानी चाहिए थी व भूमिधारी तहसीलदार तरमीम दुरूस्त करने में सक्षम होते हुऐ भी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करके केवल गलत रिपोर्ट के आधार पर जवाब के तथ्यो को नजर अंदाज करते हुऐ गलत निर्णय पारित कर और कानूनी पेचीदगी उत्पन्न कर दी है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील निरस्त कर तरमीम दुरुस्ती संबंधी कार्यवाही बाबत उचित आदेश /निर्देश दिया जाकर अपील का निस्तारण किया जाना प्रकरण के तथ्यो परिस्थितियो व विधिक प्रावधानो अनुसार आवश्यक है।

खसरा नं. 43 व 54 एक ही चक के रूप में है जो सहखातेदारी के खसरान है व एक ही चक के रूप में स्थित खेत के बीच में से न तो कभी रास्ता था न हो सकता है न मौके पर कथित रास्ता के अलामात है बल्कि रास्ता शुरू से ही खसरानं. 43 के उतरी व पश्चिमी तरफ रहता चला आया है जहां एक तरफ धूम रास्ता व आगे सड़क के रूप में रास्ता चालू है और वही वास्तविक रास्ता कदीमी समय से रहता चला आया है खसरा नं. 43 व 54 में से कटाणी रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है नक्शा में इन खसरान में से जो रास्ता की तरमीम दर्शित हो रखी है वह नक्शा की त्रुटि मात्र है जिसको कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है और ऐसी गलत तरमीम को दुरुस्त कर दिया जाता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, अपीलांट्स ने कभी भी रास्ता से इन्कार नहीं किया है मौके पर रास्ता चालू है व रास्ता होना स्वीकार किया है मगर रास्ता जहां नक्शा में गलत दर्ज हो रखा है वहां नहीं होकर खसरा नं. 43 की माठ के चिपता उतर में रहता चला आया है व पश्चिमी तरफ सड़क के रूप में मौजूद रास्ता जब चल रहा है तो अपीलांट की खातेदारी की भूमि में ही उनको अतिक्रमी घोषित कर निर्णय करने में भारी भूल की है व इन खसरान के तमाम सहखातेदारो को भी नहीं सुना है न ही स्वतंत्र काश्तकारो के बयान लिये न पटवारी हल्का के बयान लिये न जिरह का अवसर ही दिया व एक तरफा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है उक्त निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश/ निर्णय जैर अपील खारिज /संशोधित किये जाने का आदेश फरमावे व नक्शा में जो रास्ता की गलत तरमीम हुई है उसे दुरूस्त कर मौके पर चल रहे रास्ता के स्थान पर तरमीम करवाई जाने हेतु उचित निर्देश पारित कर कथित समस्या का सदैव के लिए निस्तारण करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का पूरजोर विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम सिरसला के खसरा नम्बर 44 रकबा 0.0850 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर बाड बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का ढ़ावा द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़तारोड द्वारा दिनांक 04.07.22 को सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता के सक्षम जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर मूल जबाब पटवारी हल्का ढ़ावा को भेजकर रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का ढ़ावा द्वारा पुनः रिपोर्ट दिनांक 21.07.2022 प्रस्तुत कर आदिनांक तक अपीलान्ट का अतिक्रमण होना एवं प्रस्तुत जबाब खारिज योग्य होना बताया।

अपीलान्टस् ने अधिनस्थ न्यायालय एवं हस्तगत अपील में कथन किया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ता गलत जगह दर्शित कर प्रार्थीगण का उस पर अतिक्रमण बताया है। हस्तगत अपील में यह भी कथन किया है कि नक्शे में जो रास्ता गलत तरमीम किया गया है, उसके संशोधन हेतु प्रार्थीगण ने अलग से कार्यवाही की है। साथ यह भी कथन किया खसरा नम्बर 43 व 54 एक ही चक के रूप में है जो सहखातेदारी के खसरान है व एक ही चक के रूप में स्थित खेत के बीच में से न तो कभी रास्ता था न हो सकता है। जबकि उक्त संबंध में पटवारी हल्का ढ़ावा की

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

प्रथम रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के पीछे अंकित नजरी नक्शा एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.07.22 में अंकित नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से साबित है कि खसरा नम्बर 43 व 54 के मध्य खसरा नम्बर 44 गै.मु. रास्ता की भूमि अवस्थित है। जहां तक नक्शे में गलत तरमीम को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है, उक्त संबंध में अपीलान्ट स्वंय द्वारा कथन किया गया है कि नक्शे में जो रास्ता गलत तरमीम किया गया है, उसके संशोधन हेतु अपीलान्टस् द्वारा अलग से कार्यवाही की गई है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि धारा 91 आर. एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में तरमीम दुरूस्ती के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। तरमीम दुरूस्ती एक पृथक कार्यवाही है, का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम सिरसला के खसरा नम्बर 44 रकबा 0.0850 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर बाड बनाकर अतिकमण करने की पटवारी हल्का ढ़ावा द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक मेड़तारोड द्वारा दिनांक 04.07.22 को सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर मूल जबाब पटवारी हल्का ढ़ावा को भेजकर रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का ढ़ावा द्वारा पुनः रिपोर्ट दिनांक 21.07.2022 प्रस्तुत कर आदिनांक तक अपीलान्ट का अतिकमण होना एवं प्रस्तुत जबाब खारिज योग्य होना बताया।

वकील अपीलान्टस् ने अधिनस्थ न्यायालय एवं हस्तगत अपील में कथन किया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ता गलत जगह दर्शित कर प्रार्थीगण का उस पर अतिकमण बताया है। हस्तगत अपील में यह भी कथन किया है कि नक्शे में जो रास्ता गलत तरमीम किया गया है, उसके संशोधन हेतु प्रार्थीगण ने अलग से कार्यवाही की है। खसरा नम्बर 43 व 54 एक ही चक के रूप में है जो सहखातेदारी के खसरान है व एक ही चक के रूप में स्थित खेत के बीच में से न तो कभी रास्ता था न हो सकता है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में पटवारी हल्का ढ़ावा की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के पीछे अंकित नजरी नक्शा एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.07.22 में अंकित नक्शा के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 43 व 54 के मध्य खसरा नम्बर 44 गै.मु. रास्ता की भूमि अवस्थित है। जहां तक नक्शे में गलत तरमीम को लेकर अपीलान्टस् का कथन है, उक्त संबंध में अपीलान्ट स्वंय द्वारा कथन किया गया है कि नक्शे में जो रास्ता गलत तरमीम किया गया है, उसके संशोधन हेतु अपीलान्टस् द्वारा अलग से कार्यवाही की गई है। इसके अलावा धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में तरमीम दुरूस्ती के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है, क्योकि तरमीम दुरूस्ती एक पृथक कार्यवाही है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित रास्ते की भूमि पर स्वंय का अतिकमण नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर